## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 822 / 2013

संस्थापन दिनांक 11.10.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1—पप्पू उर्फ हरगोविन्द पुत्र कल्यान कुशवाह उम्र 27 साल निवासी ग्राम रतवा थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक......को घोषित

2

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.10.13 को करीब 18:30 बजे या उसके लगभग ग्राम रतवा रोड तिराहा अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक धुरा धारदार लंबाई 11 इंच चौड़ाई 2—1/2 इंच को प्रतिबंधित आकार का अपने पास रखा।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 03.10.13 को अवनीश अ0सा02 थाना मौ में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को कस्बा गश्त के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रतवा तिराहे पर छुरी लिए खड़ा है सूचना की तस्दीक हेतु वह प्रदीप अ0सा03 और सुल्तान अ0सा01 के साथ बताये स्थान पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर रतवा की तरफ भागा जिसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पैन्ट के नीचे बांयी तरफ एक छुरा 11 इंच लंबा, ढाई इंच चौड़ा धारदार मिला। आरोपी से नाम पता पूछा तो आरोपी ने नाम पप्पू उर्फ हरगोविन्द बताया तथा छुरी का लाइसेन्स न होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से समक्ष गवाहन छुरा को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 बनाया गया। थाना वापिसी पर एफ. आई.आर. प्र0पी—3 के अनुसार अप0क0 218/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में

लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.10.13 को करीब 18:30 बजे या उसके लगभग ग्राम रतवा रोड तिराहा अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक धुरा धारदार लंबाई 11 इंच चौड़ाई 2–1/2 इंच को प्रतिबंधित आकार का अपने पास रखा ?

## 🥢 विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष / /

अवनीश अंगस02 ने कथन किया है कि दिनांक 03.10.13 को वह थाना मी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को मी बस स्टैण्ड पर कस्बा गश्त के लिए गया था तब मुखबिर से उसे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रतवा तिराहे पर वारदात करने की नीयत से खड़ा है जिसे प्रदीप अंगस03 व सुल्तान अंग अंग के साथ पहुंचकर देखा तो आरोपी रतवा की तरफ भागने का प्रयास करने लगा जिसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके बांये तरफ पैन्ट के नीचे एक लोहे का छुरा खुरसा हुआ मिला जिसका लाइसेन्स चाहा तो न होना बताया। आरोपी का नाम पता पूछा गया। आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी—1 बनाया गया और आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 बनाया गया जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। थाना वापिसी पर एफआईआर प्र0पी—3 लेख की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी सुल्तान अंग या प्रवीप अंग्सा03 के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे। रोजनामचा प्र0पी—4 उसने अपनी हस्तिलिप में लिखा था।

सुल्तान अ०सा०1 व प्रदीप अ०सा०3 ने भी अवनीश अ०सा०2 के कथन का समर्थन किया है और बताया है कि दिनांक 03.10.13 को आरोपी से एक लोहे की छुरी मिली। जप्ती पत्रक प्र०पी–1 और गिरफतारी पत्रक प्र०पी–2 पर उक्त साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

सुल्तान अ0सा01, प्रदीप अ0सा03 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि जिस स्थान से आरोपी को पकड़ा था वहां अन्य लोग भी थे। अवनीश अ0सा02 ने भी पैरा 2 में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर गांव से आने वाले व मौ से जाने वाले लोगो की चहल—पहल बनी रहती है और जिस तरफ आरोपी को पकड़ा था वहां लोग आ जा रहे थे। अतः सभी साक्षीगण ने घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति बतायी है लेकिन किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

सुल्तान अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह 6:25 बजे ह ाटनास्थल पर पहुंच गये थे और 10—15 दिन पहले ही थाने से निकले थे लेकिन अवनीश अ0सा02 ने बताया है कि वह 5:30 बजे थाने से निकले थे। प्रदीप अ0सा03 ने भी पैरा 2 में बताया है कि वह गश्त के लिए 6 बजे निकले थे अतः सुल्तान अ0सा01 व प्रदीप अ0सा03 से भिन्न कथन अवनीश अ0सा02 ने ह । टनास्थल पर रवाना होने के समय का दिया है।

अवनीश अ0सा02 ने पैरा 2 में बताया है कि वह थाने से पैदल ही गश्त के लिए गये थे लेकिन प्रदीप अ०सा०३ ने पैरा 2 में बताया है कि वह दो मोटरसाइकिल से गये थे एक पर वह और अवनीश अ०सा०२ था। अतः घटनास्थल पर रवाना होने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य दी गयी है।

सुल्तान अ०सा०१० ने पैरा २ में बताया है कि वह छुरी का साइज नहीं 10 बता सकता है। लेकिन अवनीश अ0सा02 ने पैरा 3 में बताया है कि छुरी 11 इंच लंबी थी और प्रदीप अ0सा03 न पैरा 3 में बताया ह कि छुरी 11–12 इंच लंबी और ढाई इंच चौड़ी थी। अतः जबिक सुल्तान अ०सा०१ अवनीश अ०सा०२ के साथ ही होना वर्णित किया गया है तब भी उसे छुरी का नाप ज्ञात न होना अस्वाभाविक है और उपरोक्त तीनों ही साक्षीगण ने संपूर्ण छुरी की लंबाई बतायी है ब्लेड की लंबाई नहीं बतायी है।

अतः घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षी होने के उपरांत भी मात्र पुलिस साक्षीगण को साक्षी बनाया गया है। घटनास्थल पर रवाना होने के संबंध में सुल्तान अ०सा०१ व प्रदीप अ०सा०३ से भिन्न कथन अविनाश अ०सा०२ ने दिया है। ्रपैदल व वाहन से घटनास्थल पर जाने के संबंध में भी अवनीश अ0सा02 व प्रदीप अ०सा०३ ने विरोधाभासी कथन किया है जो इस तथ्य को संदेहास्पद बनाते हैं कि वस्तुतः तीनों ही साक्षीगण एक साथ घटनास्थल पर रवाना होकर पहुंचे थे। सुल्तान अ0सा01 छुरी का प्रकार बताने में असमर्थ रहा है। अतः तीनों ही साक्षीगण पुलिस साक्षीगण होने के उपरांत भी घटनास्थल पर जाने के संबंध में विरोधाभासी साक्ष्य दे रहे हैं जिससे उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है।

अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे 12 सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 03.10.13 को करीब 18:30 बजे या उसके लगभग ग्राम रतवा रोड तिराहा अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक धुरा धारदार लंबाई 11 इंच चौड़ाई 2-1/2 इंच को प्रतिबंधित आकार का अपने पास रखा।

परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम के आरोप 13 से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 14

प्रकरण में जप्त छुरी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये और अपील 15 होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। STINIST PAR

दिनांक :-

9

11

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0